

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जे-9, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 फोन नम्बर-0141-2710944

क्रमांक:-भ्रनिब्यूरो/अशा/3/आरटीआई/2024/628

दिनांक : 24-04-2024

प्रभारी
कम्प्यूटर शाखा,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत
विभाग की वेबसाईट पर धारा 4(1)(B) की सूचनाओं को अपलोड
व अपडेट करने बाबत।

प्रसंग:-राज. सरकार गृह (गुप-6) विभाग के पत्रांक पं.3(11)गृह-6/
2024 दिनांक 05.04.2024

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में सयुक्त शासन सचिव (गृह
गुप-6) विभाग एवं प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) की
प्रतियां संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्रादि में अंकितानुसार सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत विभाग की वेबसाईट पर धारा 4(1)(B) की सूचनाओं
को अपलोड व अपडेट करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(विशनाराम)
लोक सूचना अधिकारी

4215
9-4-24

09 APR 2024



राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प. 3(11)गृह-6/2023

जयपुर, दिनांक :-

1. महानिदेशक, पुलिस, राज., जयपुर।
2. महानिदेशक, कारागार, राज., जयपुर।
3. महानिदेशक, गृह रक्षा, राज., जयपुर।
4. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज., जयपुर।
5. निदेशक, अभियोजन, राज., जयपुर।
6. निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज., जयपुर।

	श
SI	
Section	SP-HQ

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक प्राधिकरणों को विभागीय अधिनियमों/नियमों/विनियमों/आदेश को वेबसाइट पर अद्यतन करने बाबत।

संदर्भ:-प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) विभाग से प्राप्त परिपत्र दिनांक 28.03.2024 के क्रम में।

भवदीय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक प्राधिकरणों को विभागीय अधिनियम/नियम/विनियम/आदेश/परिपत्र इत्यादि को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना एवं पूर्व में प्रकाशित की हुई सूचना को अद्यतन करवाया जाना सुनिश्चित करावें, जिससे विभागीय अभिलेख/दस्तावेज आम नागरिकों को सहज रूप से प्राप्त हो सकें।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार।

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर	
पत्र/आदेश पत्र आमद क्रमांक	480
दिनांक	12-4-24

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह तंवर)
संयुक्त शासन सचिव, गृह

पता- कमरा नं. 1117, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर, दूरभाष नं. 0141-2922328
ई-मेल home.coordination@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref
6511513

Document certified by RAJENDRA SINGH
TANWAR <rs.tanwar@rajasthan.gov.in>

Digitally Signed by Rajendra
Singh Tanwar
Designation: Joint Secretary
Date :05-04-2024 01:44:39

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(B) की सूचनायें

1. विभाग संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य:-

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए, राजस्थान पुलिस में वर्ष 1949 में एक पुलिस अधीक्षक के तहत एक अलग "भ्रष्टाचार विरोधी सेल" बनाया गया था। सीआईडी की क्राइम ब्रांच बाद में वर्ष 1957 में, राजस्थान सरकार के गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत, विशेष पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में राजस्थान पुलिस की एक अलग भ्रष्टाचार विरोधी शाखा की स्थापना की गई। विशेष पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के कार्यालय को सरकार द्वारा एक पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था, जिसे भ्रष्टाचार विरोधी पुलिस स्टेशन के रूप में जाना जाता है, जिसका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र राज्य के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान के गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 4 के खंड [एस] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। उसी तिथि की एक अन्य अधिसूचना, संख्या एफ.14/1/एचए/59 के माध्यम से और उसी दिन राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित, सरकार ने धारा 156 और 551 के साथ पठित धारा 4 के खंड (पी) के अनुसरण में दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पुलिस उप-निरीक्षक के पद के ऊपर और ऊपर के सभी अधिकारियों को एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया। अधिसूचना ने भ्रष्टाचार विरोधी पुलिस स्टेशन को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित सभी संज्ञेय अपराधों से निपटने का अधिकार दिया, जिसमें आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक कदाचार शामिल था जिसमें एक लोक सेवक भी शामिल था। वर्ष 1991 में अधिसूचना संख्या 29(92) होम/ग्रेड I/90 दिनांक 25-2-1991 के तहत राज्य

सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का नाम बदलकर राजस्थान राज्य जांच ब्यूरो कर दिया। इसके अलावा, अधिसूचना ने RSBI के दायरे को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के मामलों और सरकार के एक विशिष्ट आदेश द्वारा RSBI को सौंपे गए IPC के तहत कुछ विशिष्ट अपराधों तक बढ़ा दिया। वर्ष 1998 में, अधिसूचना संख्या 29(92)होम/ग्रेड 1/90-भाग, दिनांक 24-11-1998 द्वारा, राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य जांच ब्यूरो का नाम बदलकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कर दिया।

2. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य:-लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का प्रवर्तन। भ्रष्ट लोक सेवकों की पहचान और ऐसे भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई का आयोजन भ्रष्टाचार से निपटने के लिए निवारक तंत्र को मजबूत करना और इस संबंध में संयुक्त प्रयासों के लिए एचओडी के साथ संपर्क करना। भ्रष्टाचार की त्वरित जांच और परीक्षण के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली के एक प्रभावी विंग के रूप में कार्य करना। संबंधित मामले।
- 3- विभाग की विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है:- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
4. विभाग के अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड :- भ्रष्टाचार विभाग की वेबसाईट पर विभागीय मैनुयूल में उपलब्ध है।
5. विभाग द्वारा अपने नियंत्रणाधिन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख:- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

परिपत्र एवं विभागीय मैनुअल इत्यादि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

6. विभाग के दस्तावेज जो नियंत्रणाधीन है :- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

7. विभाग की व्यवस्था की विशिष्टियां नीति की संरचना एवं उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए अभ्यावेदन :-

Anti Corruption Bureau, Rajasthan

J-9, Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004 (Rajasthan)

Tele/Fax No 0141-2712263 (CPS)

Email -itcell.acb@rajasthan.gov.in,

Toll Free No. 1064 Whatsapp No. 9413502834

8- ऐसे बोर्डों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भाग्य में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी का विवरण :- NIL

9- विभाग की अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका :- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

10- विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली :-

11- विभाग की योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आंवटित बजट- आय व्ययक अनुमान 2022-23-24 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

12- सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आंवटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं। कार्यक्रमों के निष्पादन आंवटित राशि से संबंधित सूचना भ्रनिब्यूरो की विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

13- विभागीय अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां :-NIL

14- किसी इलैक्ट्रानिक रूप से सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या धारित हो :- भ्रनिब्यूरो द्वारा वर्ष-2022 से एफ.आई.आर ब्यूरो की विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करवाई जा रही है।

15- विभाग अभिप्राय करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की कार्यालय के कार्यकरण घंटे विशिष्टियां :- कार्यालय का नाम : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर राजस्थान, कार्यालय खुलने का समय 9 : 30 AM TO 6 PM

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम और अन्य विशिष्टियां :- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 5 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हेतु

निम्नांकित अधिकारियों को प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता हैं।

1	श्री कालूराम रावत	उपमहानिरीक्षक	प्रथम अपीलीय अधिकारी
	श्री विशनाराम	अति. पुलिस अधीक्षक(परि.शाखा)	लोक सूचना अधिकारी
	श्री संजय कुमार रॉयल	पुलिस उप अधीक्षक (मुख्यालय जयपुर)	सहायक लोक सूचना अधिकारी

विभाग की अन्य प्रकार की विहित सूचना :-NIL

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण:-02.04.2024

क.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	महानिदेशक	01	00	01
2.	अति. महानिदेशक	01	02	+1
3.	महानिरीक्षक पुलिस	03	00	03
4.	उप महानिरीक्षक पुलिस	04	06	+2
5.	पुलिस अधीक्षक	06	00	06
6.	अति. पुलिस अधीक्षक	60	37	23
7.	उप अधीक्षक पुलिस	31	31	00
8.	पुलिस निरीक्षक	98	56	42
9.	उप निरीक्षक पुलिस	35	29	06
10.	सहायक उप निरीक्षक पुलिस	98	98	00
11.	मुख्य आरक्षक (सीपी)	155	154	01
12.	मुख्य आरक्षक (एमटी)	11	07	04
13.	आरक्षक	416	343	73
14.	आरक्षक ड्राईवर	95	95	00
15.	संस्थापन अधिकारी	01	01	-
16.	प्रशासनिक अधिकारी	03	03	00
17.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	10	09	01
18.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	22	19	03
19.	वरिष्ठ सहायक	33	30	03
20.	कनिष्ठ सहायक	61	58	03
21.	वरिष्ठ निजी सचिव	01	01	00
22.	अति. निजी सचिव	01	01	00
23.	निजी सहायक	08	-	08
24.	शीघ्र लिपिक	09	10	+1
25.	आर.ए.एस. (उप निदेशक राजस्व)	02	01	01
26.	अधिशायी अभियंता	01	00	01
27.	सहायक परीक्षण अधिकारी	01	-	01
28.	वित्तीय सलाहकार	01	01	-
29.	वरिष्ठ लेखाधिकारी (CAO)	01	01	-
30.	लेखाधिकारी (Sr. AO)	01	01	-
31.	सहायक लेखाधिकारी-ग्रेड-1/II	03	04	+1
32.	कनिष्ठ लेखाकार	01	00	01
33.	अति० निदेशक अभियोजन	01	01	00
34.	उप निदेशक अभियोजन	02	02	-
35.	सहायक विधि परामर्श	01	01	-
36.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01	01	-
37.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	-	01
38.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	01	01	-
39.	प्रोग्रामर	01	01	00
40.	सूचना सहायक	03	01	02
41.	जन सम्पर्क अधिकारी	01	01	-
42.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	17	11	06
कुल योग		1203	1018	190-5=185 (+5)